

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही (राज.)

बईजलास श्रीमती शुभम चौधरी, आई.ए.एस.

प्रार्थना-पत्र संख्या 33/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
प्राधिकृत अधिकारी आई.सी.आई.सी.आई. होम फाईनेंस लिमिटेड उदयपुर जरिए प्राधिकृत अधिकारी श्री राहुल व्यास।		1. श्री महेन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री मंगलसिंह निवासी 08 चौधरी कॉलोनी शांति कुंज के सामने आबूरोड जिला सिरौही व विला नं. एल 39 एलआईजी, खुशी संसार ड्रीम सिटी, खसरा नम्बर 1106/4, 1106/5 गांव आमथला तह. आबूरोड जिला सिरौही। 2. श्रीमती मनीष चौहान पत्नि श्री महेन्द्रपाल सिंह निवासी माउण्ट रोड तलहटी चौधरी कॉलोनी मॉडर्न इन्सुलेटर आबूरोड जिला सिरौही।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्कुराइडेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल  
एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्कुरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002

उपस्थिति :-

1. अधिवक्ता श्री सूर्यवीरसिंह आढा, प्रार्थी बैंक की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 31.07.2024



प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्कुराइडेशन एण्ड  
रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्कुरिटी  
इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थी का  
प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पक्ष के द्वारा अप्रार्थी

1. श्री महेन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री मंगलसिंह निवासी 08 चौधरी कॉलोनी शांति  
कुंज के सामने आबूरोड जिला सिरौही व विला नं. एल 39 एलआईजी,  
खुशी संसार ड्रीम सिटी, खसरा नम्बर 1106/4, 1106/5 गांव आमथला  
तह. आबूरोड जिला सिरौही।
2. श्रीमती मनीष चौहान पत्नि श्री महेन्द्रपाल सिंह निवासी माउण्ट रोड  
तलहटी चौधरी कॉलोनी मॉडर्न इन्सुलेटर आबूरोड जिला सिरौही।

को राशि रूपये 12,80,000/- एवं 68,913/- की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई  
तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी ने अपनी जायदाद बैंक के पास बतौर अमानत बंधक  
रखी थी। अप्रार्थी श्री महेन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री मंगलसिंह ने अपनी जायदाद  
आवासीय सम्पत्ति विला नं. 39 एलआईजी, खुशी संसार ड्रीम सिटी, खसरा नं.  
1106/4, 1106/5 जो कि ग्राम आमथला तहसील आबूरोड जिला सिरौही में  
स्थित है, जिसकी माप 800 वर्गफीट है, को बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन कर  
दिया।

जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही

अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी के बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से नोटिस दिनांक 11.01.2024 को जारी किये गये, जो पंजीकृत डाक/अखबार में प्रकाशन के माध्यम से तामिल करवाये गये उसके पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थियों के द्वारा बतौर जमानत रहन रखी गई सम्पति इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को संभलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।


प्रार्थी के लायक अधिकारी/अधिवक्ता की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता/अधिकारी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित विन्दुओं की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी एक नियमित निकाय है जो अपनी शाखाओं के माध्यम से ऋण देने का व्यवसाय करती है उसकी शाखाओं में से एक उदयपुर में भी स्थित व कार्यरत है। प्रार्थी बैंक/संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को रुपये 12,80,000/- एवं 68,913/- का ऋण स्वीकृत किया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक/कम्पनी के पक्ष में बन्धक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है। बहस में कहा कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी पक्ष को नियमित रूप से ऋण राशि व ब्याज राशि का भुगतान नहीं करने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये किन्तु अप्रार्थी द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया। भुगतान नहीं करने के फलस्वरूप अप्रार्थी स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन रखी गई उक्त जायदाद इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाया जावे।



प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी। अप्रार्थी द्वारा राशि रुपये 12,80,000/- एवं 68,913/- का ऋण लिया था। ऋण राशि के बदले में अप्रार्थी द्वारा अपनी जायदाद को बैंक/कम्पनी के पक्ष में उक्त जायदाद रहन रखी है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार धारा 13(2) के अधीन अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस भी दिनांक 11.01.2024 को जारी किये हैं जिनकी प्राप्ति के पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है।

दी सिक्कुराइडेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्कुरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 निम्न प्रकार है :-

14 . Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset – (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold or transferred by the secured creditor under the provisions of this Act, the

  
 फतेह गढ़ साहिब, पंजाब

